



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229266
CG-DL-E-27082021-229266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]
No. 479]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 591(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास (जेट्टी, स्लिपवे और बोट पेन की लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 के अधिक्रमण में उक्त अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए कोचीन पत्तन न्यास (जेट्टी, पियर्स और स्लिपवे की लाइसेंसिंग) विनियम, 2021, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (2) के तहत केरल राजपत्र में 22 दिसंबर, 2020 और 29 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित किया गया है और इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, का एतद्वारा अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पत्तन न्यास (जेट्टी, स्लिपवे और बोट पेन की लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से

पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर कोचीन पत्तन न्यास का न्यासी मण्डल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयोग एवं प्रारंभ-** (1) इन विनियमों को कोचीन पत्तन न्यास (जेट्टी, पियर्स और स्लिपवे की लाइसेंसिंग) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये पत्तन सीमाओं के अंदर सभी जेट्टियों, स्लिपवे और बोट-पेन पर लागू होंगे।

(3) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएँ - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-**

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) है,

(ख) “उप संरक्षक” का तात्पर्य कोचीन पत्तन का उप संरक्षक है,

(ग) “शुल्क” का तात्पर्य विनियम 3 के तहत निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क और निरीक्षण शुल्क है,

(घ) “लाइसेंस” का तात्पर्य इस विनियम के तहत जारी किए गए जेट्टी, पियर्स और स्लिपवे लाइसेंस हैं,

(ङ) यहां प्रयुक्त किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं की गई हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

3. **लाइसेंस और निरीक्षण शुल्क -** शुल्क, अधिनियम की धारा 48 और 49 द्वारा निर्धारित दर मान के अनुसार लागू होगा।

4. **लाइसेंस के लिए आवेदन -** लाइसेंस शुल्क वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, कोचीन पत्तन न्यास को अग्रिम रूप से देय होगा और इसकी रसीद उप संरक्षक को लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे नामतः-

(क) मालिक का नाम और पता,

(ख) स्थिति, सर्वेक्षण संख्या और अन्य विवरण आदि,

(ग) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

5. **जेट्टी, पियर्स, स्लिपवे के निर्माण की अवधि -** जेट्टी या पियर्स का निर्माण उप-संरक्षक की संतुष्टि से लाइसेंस जारी होने की तिथि से छह महीने के अंदर पूरा किया जाए।

6. **जेट्टी, पियर्स, स्लिपवे का अनुरक्षण -** लाइसेंसधारी द्वारा जेट्टी, पियर्स, बोट शेड या स्लिपवे, जैसा भी मामला हो, का अनुरक्षण, उप-संरक्षक की संतुष्टि से अच्छी और पर्याप्त मरम्मत द्वारा किया जाएगा, और इसे अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी तरह से बढ़ाया या बदला नहीं जाएगा और लाइसेंसधारी अपने सभी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

7. **जेट्टी, पियर्स, स्लिपवे को हटाना -** जब उप संरक्षक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो लाइसेंसधारी लिखित रूप में नोटिस प्राप्त करने के तीन महीने के अंदर अपनी लागत पर और बिना किसी मुआवजे के, जैसा भी मामला हो, जेट्टी, स्लिपवे और पियर्स को हटाएगा और अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना ऐसे तट के अगले भाग पर किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

8. **बोर्ड द्वारा लाइसेंस रद्द करना और जेट्टी, स्लिपवे को अपने नियंत्रण में लेना** - (1) इस तरह के निर्माण और पूरा होने में देरी या चूक या इस विनियम की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में कोचीन पत्तन न्यास लाइसेंस को रद्द कर सकता है और जेट्टी, स्लिपवे या पियर्स जैसा भी मामला हो, के सभी या किसी भी हिस्से पर नियंत्रण कर सकता है या निपटान कर सकता है या साथ ही साथ 30 दिनों का नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति की लागत पर उक्त स्थल पर प्रभावित किसी अन्य संरचना या अन्य सुधारों, जो निर्मित हो सकते हैं, को हटा सकता है और उनका निपटान कर सकता है तथा लाइसेंसधारी का उस भूमि पर किए गए निर्माण के परिणामस्वरूप उस पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) उप संरक्षक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे उस हटाए जाने या अन्य नुकसान की लागत को विनियोजित या समायोजित करें, जोकि लाइसेंसधारी द्वारा हटाई गई या निपटान की गई चीजों की बिक्री आय से पहले प्रदान किए गए तरीके से चूक के कारण बोर्ड को वहन करना पड़ सकता है और प्रदान किया गया लाइसेंस, जब तक कि अन्यथा रद्द नहीं किया गया हो, एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

9. **नौवहन में बाधा से बचाव** - लाइसेंसधारी मट्टांचेरी चैनल में बीस मीटर और अन्य सभी क्षेत्रों में पांच मीटर की लंबवत लंबाई से अधिक जलक्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करेगा। विनिर्दिष्ट सीमाओं में किसी प्रकार की झूट के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, मामला दर मामला आधार पर, उप संरक्षक की सहमति होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में लाइसेंसधारी किसी भी समय जल यातायात और नौपरिवहन के सामान्य प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

10. **जेट्टी की सुरक्षा:-** (1) लाइसेंसधारी जेट्टी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और वह एक लॉग बुक रखेगा जिसमें नावों की रजिस्टर संख्या, जेट्टी पर बंधी विभिन्न नावों के सभी चालक दल के नाम और पहचान दर्शाई जाएगी।

(2) पत्तन या सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर लॉग बुक निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(3) लाइसेंसधारी जेट्टी के सभी उपयोगकर्ताओं पर नजर रखेगा और विदेशियों सहित किसी भी अजनबी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन में करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. **पर्यावरणीय संरक्षण-** लाइसेंसधारी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जेट्टी या पियर्स या स्लिपवे के साथ बंधी किसी भी नाव से तेल के कचरे का रिसाव नहीं हो रहा है।

12. **फिश लैडिंग** - जेट्टियों पर फिश लैडिंग की अनुमति नहीं होगी, जेट्टी प्रयोक्ताओं द्वारा केवल प्राधिकृत फिश लैडिंग केन्द्रों का प्रयोग किया जाएगा।

[फा. सं. पीडी-0808/20/2018-पीडी-II]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2021

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 124 read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust (Licensing of Jetties, Piers and Slipways) Regulations, 2021 made by the Board of Trustees of the Port of Cochin in supersession of the Cochin Port Trust (Licensing of Jetties, Slipway and Boat pen) Regulations, 1968, in exercise of the powers conferred under section 123 of the said Act and the same having been published in the Kerala Gazette under sub-section (2) of section 124 of the said Act on 22nd December, 2020 and 29th December, 2020 and as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), in supersession of the Cochin Port Trust (Licensing of Jetties, Slipway and Boat pen) Regulations, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Board of Trustees of the Cochin Port Trust hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement.**- (1) These regulations may be called the Cochin Port Trust (Licensing of Jetties, Piers and Slipways) Regulations, 2021.

(2) They shall apply to all jetties, slipway and boat-pen within the Port limits.

(3) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.- In these Regulations, unless the context otherwise requires,-**

a. “Act” means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) ;

b. “Deputy Conservator” means the Deputy Conservator of the Port of Cochin;

c. “fees” means licence fees and inspection fees specified under regulation 3;

d. “licence” means a jetties, piers and slipways licence issued under this regulation;

e. Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **License and Inspection fees.**- The fees shall be applicable as per the Scale of rates as prescribed by section 48 & 49 of the Act.

4. **Application for licence.**- The licence fee shall be payable in advance to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Cochin Port Trust and the receipt for the same shall be produced to the Deputy Conservator along with the application for the licence, containing following, namely :-

(a) the owner’s name and address;

(b) situation, survey number and other description etc;

(c) any other relevant information.

5. **Period of Construction of Jetties, Piers, Slipways.**- The construction of jetty or pier shall be completed within six months from the date of issue of licence to the satisfaction of the Deputy Conservator.

6. **Maintenance of Jetties, Piers, Slipways.**- The jetty, pier, boat shed or slipways, as the case may be, shall be maintained by the licensee in good and substantial repairs to the satisfaction of Deputy Conservator, and it shall not be extended or altered in any way without the previous sanction of the Chairman and the licensee shall be responsible for the safety of all its users.

7. **Removal of Jetties, Piers, Slipways.**- When so required by the Deputy Conservator, the licensee shall remove the jetty, slipway and piers as the case may be, at his own cost and without any compensation whatsoever, within three months after receiving notice in writing and shall not erect any other structure on any part of such foreshore without previous sanction from the Chairman.

8. **Cancellation of licence and taking control of jetties, slipways by the Board.**- (1) In the event of delay or default in such erection and completion or any breach of any of the conditions of this regulation the Cochin Port Trust may cancel the licence and assume control of or otherwise dispose of all or any part of the jetty, slipways or piers, as the case may be, or remove and dispose of any other structures or other improvements affected on the said site that

may have been constructed as well as the site thereof by issue of 30 days notice, at the expense of the person concerned and the licensee shall have no right in the land in consequence of erection made thereon.

(2) It shall be open to the Deputy Conservator to appropriate or set off the cost of removal or other damage the Board may sustain due to the licensee's default out of the sale proceeds of the things removed or disposed of in the manner herein before provided and the licence granted, unless otherwise cancelled, shall remain in force for a period of one year.

9. **Avoidance of obstruction to navigation.-** The licensee shall not encroach into the water front beyond the perpendicular length of twenty meters in the Mattancherry Channel and five meters in all other areas. Any relaxation to the specified limits should have the concurrence of the Deputy Conservator on case by case basis after obtaining approval of Chairman. In any case the licensee shall not at any time cause any obstruction to the normal flow of the water traffic and navigation.

10. **Security of the Jetty.-** (1) The licensee shall be responsible for the security of the jetty and shall maintain a log book which shall show the register number of boats, the name and identity of all the crew of various boats tied up at the jetty.

(2) The log book shall be produced for inspection upon demand by Port or any Authority authorized by the Government.

(3) The licensee shall keep a tab on all users of the jetty and shall be liable to report any strangers, including foreigners, to the nearest Police Station.

11. **Environmental protection.-**The licensee shall be responsible for the environmental protection and ensure that there shall not be any discharge of oily wastes from any boats tied up alongside the jetty or pier or slipway.

12. **Fish landing.-** Fish landing shall not be permitted at the jetties, authorised fish landing centres shall only be used by the jetty users.

[F. No. PD-0808/20/2018-PD-II]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.